क्रम-संख्या–137

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 4 जून, 2013

ज्येष्ठ 14, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–1

संख्या 1756/छः-पु-1–13-115-2008

लखनऊ, 4 जून, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि–37

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य सामर्थ्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

नियम 15 का संशोधन

2–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 15 के खण्ड–(क) (एक) और (पाँच) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
आरक्षियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया	**आरक्षियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया**
15. (क) आवेदन पत्र	**15. (क) आवेदन पत्र**
(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिये आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्रों से भिन्न केन्द्र को आवंटन कर सकता है।	(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले से आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्रों से भिन्न केन्द्र को आवंटन कर सकता है।
(दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, लिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी हैं, के लिए न्यूनतम अर्हक मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक, अभ्यास के लिए ओ०एम०आर० पत्रक की प्रति के सम्बन्ध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश जो समय–समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय, बोर्ड द्वारा उसकी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से, जैसा वह आवश्यक समझे, उपलब्ध करायी जायेगी।	(दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, लिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी हैं, के लिए न्यूनतम अर्हक मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक, अभ्यास के लिए ओ०एम०आर० पत्रक की प्रति के सम्बन्ध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश जो समय–समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय, बोर्ड द्वारा उसकी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से, जैसा वह आवश्यक समझे, उपलब्ध करायी जायेगी।
(तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी, आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।	(तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी, आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।
(चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।	(चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।
(पाँच) विभागाध्यक्ष किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत कर सकता है।	(पाँच) आवेदन पत्र में पहचान विवरण यथा–विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली निशान, फोटोग्राफ या बायो मैट्रिक्स भी समुचित रीति से इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये।